

अपील सूचना का अधिकार संख्या 82/2016 श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्राम्हण  
निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर बनाम उपजिला कलेक्टर (भू.अ.) शाखा, कलेक्ट्रेट,  
श्रीगंगानगर

31-01-2017

अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी व उनके प्रतिनिधि  
उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत  
आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2016 के द्वारा उपजिला कलेक्टर (भू.अ.) शाखा कलेक्ट्रेट,  
श्रीगंगानगर से सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा समय अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई  
है। उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी से निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का  
आदेश प्रदान किया जावे एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तो  
पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र  
दिनांक 04.04.2016 के द्वारा उपजिला कलेक्टर (भू.अ.) शाखा कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न  
सूचना चाही थी:-

- (1) गांव खांटा बरानी मु0 नम्बर 131 एवं आवंटन पत्रावली,  
आवंटन आदेश तहसीलदार रिपोर्ट आवंटन संबंधी दस्तावेज।
- (2) गांव खांटा बरानी मु0 नम्बर 132 की आवंटन पत्रावली,  
आवंटन आदेश तहसीलदार एवं पटवारी रिपोर्ट।
- (3) सन 1928 सम्वत 1985 जमाबन्दी मय गिरदावरी प्रमाणित  
शुदा नकल।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट (भू.अ. शाखा)  
श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या एफ(9)(9)/भू.अ./रिकार्ड/3266 दिनांक 10.06.16  
निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

- (1) इस बिन्दु में प्रार्थी ने मु.न. 131 की आवंटन पत्रावली,  
आवंटन आदेश, तहसीलदार रिपोर्ट, आवंटन संबंधी दस्तावेज की  
प्रतिलिपियां चाही है। चूंकि आवंटन पत्रावली से संबंधित रिकार्ड  
जिला कार्यालय की भू.अ. शाखा में जमा नहीं होता, आवंटन  
संबंधित अधिकतर रिकार्ड उपजिला कलेक्टर कार्यालय में जमा  
होता है। इस कारण इस रिकार्ड की सुनिश्चितता बाबत प्रार्थना  
पत्र की प्रति उप जिला कलेक्टर रायसिंहनगर को इस कार्यालय  
के पत्र क्रमांक 2567 दिनांक 25.04.2016 के द्वारा भिजवा दी  
गयी। जिसकी प्रति सलग्न है।
- (2) इस बिन्दु में प्रार्थी ने मु.न. 132 की आवंटन पत्रावली,  
आवंटन आदेश, तहसीलदार व पटवारी रिपोर्ट, आवंटन संबंधी  
दस्तावेज की प्रतिलिपियां चाही है। चूंकि आवंटन पत्रावली से  
संबंधित रिकार्ड जिला कार्यालय की भू.अ. शाखा में जमा नहीं  
होता, आवंटन संबंधित अधिकतर रिकार्ड उपजिला कलेक्टर  
कार्यालय में जमा होता है। इस कारण इस रिकार्ड की  
सुनिश्चितता बाबत प्रार्थना पत्र की प्रति उप जिला कलेक्टर  
रायसिंहनगर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2567 दिनांक  
25.04.2016 भिजवा दी गयी थी। जिसकी प्रति सलग्न है।

श्रीगंगानगर  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

(3) सन 1928 सम्वत 1985 की जमाबन्दी मय गिरदावरी के रिकार्ड की नकल चाही गयी थी जिसकी तलाश अभिलेखागार में की गयी परन्तु तलाश की गयी परन्तु प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ। इस कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2567 दिनांक 25.04.2016 से भिजवा दी गयी थी जिसकी प्रति सलंगन है।


उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रिकार्ड में से कोई रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र की प्रति उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार रायसिंहनगर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2567 दिनांक 25.04.2016 के द्वारा अग्रेषित कर दी गई थी। अतः प्रार्थी की अपील खारिज की जानी उचित है।

लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट (भू.अ. शाखा) श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचनाओं का संबंध उपजिला कलेक्टर, रायसिंहनगर व तहसीलदार रायसिंहनगर के कार्यालय से जिसकी सूचना भी अपीलार्थी को उनके द्वारा पत्र दिनांक 25.04.16 व 10.06.16 के द्वारा दी जा चुकी है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचनाओं का संबंध उपजिला कलेक्टर, रायसिंहनगर व तहसीलदार रायसिंहनगर से है। इसलिए अपीलार्थी को हिदायत की गई कि वह अपनी सूचनाओं के संबंध में संबंधित कार्यालय उपजिला कलेक्टर, रायसिंहनगर व तहसीलदार रायसिंहनगर के कार्यालय में चाराजोही करे। यहां से अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट (भू.अ.शाखा) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति उपजिला कलेक्टर रायसिंहनगर व तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( ज्ञानाराम )  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

315-18  
6-2-17